

आदेश

श्री गुलशन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, नूंह को नगर पालिका, फारुखनगर में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद के विरुद्ध किए गए आदेश दिनांक 26-12-2018 को रद्द करते हुए श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, रेवाड़ी को नगर पालिका, फारुखनगर में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थान: पंचकुला
दिनांक: 18-01-2019

शेखर विद्यार्थी,
निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

पृ० क्रमांक: डी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2019/ 5517-23 दिनांक: 28/1/2019

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपायुक्त, रेवाड़ी, मेवात स्थित नूंह तथा गुरुग्राम।
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रेवाड़ी।
3. सचिव, नगर पालिका, नूंह तथा फारुखनगर।
4. श्री गुलशन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका, नूंह।
5. श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, रेवाड़ी।

अधीक्षक (स्थापना)
कृते: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा, पंचकुला।

आन्तरिक वितरण:

1. निजी सचिव/ओ0एस0डी0/मुख्यमंत्री।
2. निजी सचिव/यू0एल0बी0एम0।
3. निजी सचिव/पी0एस0यू0एल0बी0।
4. निजी सहायक/नि0श0स0नि0।
5. निजी सहायक/अवनि0श0स0नि0।
6. नोडल आफिसर, वैब पोर्टल।